

मध्य प्रदेश शासन  
पशुपालन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभभवन-462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2018

क्रमांक एफ-3-1/2016/पैतीस - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट-1 के लेवल 12 के प्रारंभिक वेतन रु.56100/- (छठवा वेतनमान वेतन बैंड रु. 15600-39100+5400 पी.बी, बैंड) में कंडिका-2 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति करते हुए आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम (6) में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ करता है:-

क.	पी.एस. सी.स. क्रमांक	नाम	गृह जिला	जाति	प्रस्तावित पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	24	डॉ. नीरज सिंह राजपूत	छतरपुर	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय गढी जिला-रीवा
2	25	डॉ. नेहा साहू	रीवा	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय बिछुआ जिला-छिंदवाडा
3	73	डॉ. मनीष कुमार कुशवाहा	सतना	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय डभोरा जिला-रीवा
4	77	डॉ. रवि कुमार सोनी	अनूपपुर	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय डीमरखेडा जिला-कटनी
5	118	डॉ. अजेन्द्रसिंह पाल	भिंड	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय खेरलॉजी जिला-बालाघाट
6	125	डॉ. कांति राजे	रीवा	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय बदेरा जिला-सतना
7	134	डॉ. महेन्द्र पटेल	दमोह	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय देवरी जिला-सागर
8	143	डॉ. पूर्णिमा सिंह	शहडोल	अ.ज.जा.	पशु चिकि. नौरोजाबाद, जिला-उमरिया
9	146	डॉ. वंदना मरकाम	छिंदवाडा	अ.ज.जा.	पशु चिकित्सालय बरोदिया नानगिर जिला-सागर
10	151	डॉ. पवन कुमार राजपूत	दतिया	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय आलमपुर जिला-भिंड
11	156	डॉ. नीलिमा पटेल	रीवा	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय अमीलिया जिला-सतना

(2)

क.	पी.एस. सी.स. क्रमांक	नाम	गृह जिला	जाति	प्रस्तावित पदस्थापना स्थान
12	164	डॉ. प्रेरणा ठाकुर	सागर	अ.जा.	पशु चिकित्सालय कनारदी जिला-उज्जैन
13	169	डॉ. तुषार ठोसर	इंदौर	अ.पि.व.	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बडौद, जिला-आगर
14	175	डॉ. नेहा सुरेश्वर	मंडला	अ.पि.व.	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी बहोरीबंद जिला-कटनी
15	183	डॉ. मनोज कुमार देवडा	रतलाम	अ.ज.जा.	विकासखण्ड थांदला जिला-झाबुआ
16	194	डॉ. दुरग सिंह लोधी	दमोह	अ.पि.व.	पशु चिकित्सालय रेहली जिला-सागर
17	213	डॉ. रोहित कुमार	खरगौन	अ.जा.	पशु चिकित्सालय वारधा जिला-सागर
18	220	डॉ. अलका सुमन	सागर	अ.जा.	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी कुरवई जिला- विदिशा
19	221	डॉ. अर्चना राजे	सागर	अ.जा.	पशु चिकित्सालय पिपराही जिला-रीवा
20	222	डॉ. दीपक लाल कुम्हार	उमरिया	अ.जा.	पशु चिकित्सालय सुरवारी जिला-नरसिंहपुर
21	223	डॉ. मनीष कुमार अहिरवार	दतिया	अ.जा.	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, पिपलोदा, जिला- रतलाम
22	229	डॉ. स्वाति कोली	गुना	अ.जा.	पशु चिकित्सालय अमझेरा जिला-धार
23	231	डॉ. ज्योति उइके	सिवनी	अ.ज.जा.	पशु चिकित्सालय आलमपुरा जिला-टीकमगढ
24	245	डॉ. गीता लोधी	नरसिंहपुर	अ.पि.व.	संभागीय पशु चिकित्सालय सागर
25	253	डॉ. सीमा सोनगरा	इंदौर	अ.जा.	पशु चिकित्सालय वरला जिला-बडवानी
26	289	डॉ. मनोज कुमार साक्य	मुरैना	अ.जा.	पॉली क्लीनिक भिण्ड जिला-भिण्ड
27	298	डॉ. महेश बर्मन	इंदौर	अ.ज.जा.	पशु चिकित्सालय पिपल्या बुजुर्ग जिला-खरगौन

*Signature*

क्र.	पी.एस. सी.स.क्र.	नाम	गृह जिला	जाति	प्रस्तावित पदस्थापना स्थान
28	301	डॉ. सीमा ठाकुर	इंदौर	अ.ज.जा.	पशु चिकित्सालय घोड़ा डोंगरी जिला-बैतूल
29	303	डॉ. रूप सिंह पचाया	झाबुआ	अ.ज.जा.	पशु चिकित्सालय तिरला जिला-धार

2/- नियुक्ति की शर्तें:-

- (1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-8 एवं म.प्र. पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1966 के नियम-19 के अंतर्गत उल्लेखित नियुक्तियां प्रथमतः 2 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर होगी।
- (2) परीवीक्षा अवधि में स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा सेवा संबंधी अन्य मुद्दे, नियमित शासकीय सेवक को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये अथवा लागू किये जावे के अधीन रहेंगे।
- (3) परीवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक ना पाये जाने या आगे पर्याप्त कारणों से राज्य शासन द्वारा परीवीक्षा अवधि आगे वृद्धि की जा सकेंगी या सेवायें एक माह के नोटिस अथवा नोटिस-पे भुगतान के आधार पर समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) उपरोक्त नियुक्ति उम्मीदवारों में से यदि कोई उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने के बाद सेवा त्याग-पत्र देना चाहे तो उन्हे शासन को एक माह पूर्व नोटिस देना होगा, अथवा उसके बदले एक माह का या ऐसी सूचना एक माह से जितने दिन कम की हो उतने दिनों के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि शासन को जमा करनी होगी, ऐसा ना करने पर उनसे उक्त राशि ब्याज सहित भू-राजस्व के बकाया के समान वसूल की जायेगी।
- (5) नियुक्त उम्मीदवारों को आदेश जारी होने के दिनांक से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, के पद का पदभार नियुक्ति आदेश में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर 15 दिवस में निश्चित रूप से ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति समाप्त मानी जायेगी।
- (6) पदभार ग्रहण करते समय मेडिकल बोर्ड से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के उप संचालक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (7) शासकीय/अर्द्धशासकीय निगमों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (8) विभागीय परीक्षा 2 वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी।
- (9) अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सूची के अनुसार होगी।
- (10) चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3/- यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4/- यह नियुक्ति आदेश याचिका क्रमांक 17784/2017 में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा परित निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

5/- प्रमाणित किया जाता है कि उल्लेखित नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Dayim*  
30/6/18  
(कलिस्ता कुजूर)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग

पृ. क्रमांक एफ-3-1/2016/पैतीस  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2018

1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर की ओर उनके पत्र क्र. 10708/79/2016/चयन, दिनांक 03.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. संचालक, पशुपालन संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र उनके सेवा अभिलेख में रखने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी पशुपालन विभाग भोपाल।
5. निज सहायक प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. संबंधित जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. संबंधित संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें मध्यप्रदेश।
8. संबंधित उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश। कृपया कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें एवं मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत एक-एक सत्यापित प्रति विभाग को भेजें तथा एक-एक सत्यापित प्रति संबंधित की नस्ती में रखी जावे।
9. संबंधित सिविल सर्जन एवं अध्यक्ष जिला मेडिकल बोर्ड मध्यप्रदेश। कृपया उपरोक्तानुसार आपके जिले में नियुक्त उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधित उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को उपलब्ध कराएं।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क (प्रेस प्रकोष्ठ), मंत्रालय भोपाल।
12. संबंधित डॉ. ....निवासी.....जिला.....  
.....म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप अपने पद एवं पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा आपकी संबंधित पद पर नियुक्ति से संबंधित आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
13. स्टाक फाईल।

*dyjue*  
30/6/18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग